भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 829

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

†829. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी शुरुआत से अब तक वर्ष-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या उक्त योजना का सामाजिक लेखा-परीक्षण के माध्यम से कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत शुरू से अब तक कितने बच्चों को शामिल किया गया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य विशेष रूप से कंधमाल संसदीय क्षेत्र में आबंटित/उपयोग की गई धनराशि वर्ष-वार क्या है;

(ङ) क्या सरकार प्रसव-पूर्व वंशानुगत तथा अन्य बीमारियों के शीघ्र निदान तथा उपचार के लिए केंद्रीय सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केंद्रों में उन्नत निदान केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) लागू करता है, जिसका उद्देश्य 32 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों में 4 डी यानी जन्म के समय दोष, विकासात्मक देरी, रोग और कमियों का शीघ्र पता लगाना और प्रबंधन करना है।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आरबीएसके के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 160.84 करोड़ बच्चों की जांच की गई है, 11.90 करोड़ बच्चों में चयनित स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान की गई है और 5.63 करोड़ बच्चों को मध्यम/विशिष्ट परिचर्या प्रदान की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): आरबीएसके कार्यक्रम का मूल्यांकन एनएचएम के तहत त्रैमासिक रिपोर्टों, क्षेत्र दौरों और राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) की प्रक्रिया के दौरान की गई समीक्षाओं के पुनर्विलोकन के माध्यम से किया जाता है।

(घ): चयनित स्वास्थ्य स्थितियों के व्यापक प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण सहित जिला शीघ्र उपचार केन्द्रों (डीईआईसी) में अवसंरचना, आवश्यक उपकरण और अपेक्षित मानव संसाधनों के लिए एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ओडिशा राज्य के लिए आरबीएसके हेतु बजट आबंटन और उपयोग का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ङ) और (च): जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में आनुवंशिक विकारों के बोझ का निराकरण करने के लिए वंशानुगत विकारों के प्रबंधन हेतु अनूठी पहल (यूएमएमआईडी) शुरू की गई है। यूएमएमआईडी पहल के घटकों में से एक के तहत नैदानिक परिचर्या प्रदान करने के लिए निदान केंद्रों (राष्ट्रीय वंशानुगत विकार प्रबंधन केंद्र) की स्थापना की जा रही है, जिनमें मुख्यत: आनुवंशिक विकारों के संबंध में प्रसवपूर्व परीक्षण किया जाना, अपेक्षाकृत सामान्य उपचार योग्य आनुवंशिक चयापचय विकारों के लिए नवजात की स्क्रीनिंग करना, और आनुवंशिक विकारों के उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं को आनुवंशिक रोगों के संबंध में परामर्श प्रदान करने के कार्यकलाप शामिल हैं। इस पहल के तहत, देश के 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों में **26 निदान** केंद्र स्थापित किए गए हैं। डीबीटी-यूएमएमआईडी-निदान केंद्र पहल के लिए आवंटित कुल धनराशि लगभग 47.65 करोड़ रुपये है।

अनुलग्नक - I

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 829 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत जांच किए गए बच्चों का ब्यौरा

(संख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.3
आंध्र प्रदेश	3.8	15.2	71.4	74.2	48.6	61.3	4.4	7.2	6.1	15.8
अरुणाचल प्रदेश	2.3	3.3	2.7	4.8	2.2	1.9	0.0	1.2	1.5	3.0
असम	29.4	48.7	63.2	68.1	75.9	73.0	18.4	30.3	74.4	80.7
बिहार	0.6	287.3	144.5	122.9	143.9	158.0	0.0	0.0	92.1	127.8
चंडीगढ़	2.2	4.1	2.0	1.7	2.4	2.4	0.0	0.6	1.5	1.8
छत्तीसगढ़	0.6	51.1	59.7	55.6	56.9	56.6	0.0	18.8	32.8	61.6
दादरा और नगर हवेली	0.9	1.0	0.9	1.2	1.2	1.5	0.0	1.3	0.6	0.7
दमन और दीव	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4				
*दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा	2.2	2.3	3.2	4.2	5.0	4.6	0.0	0.0	4.2	4.2
गुजरात	123.4	164.0	196.1	245.6	115.5	180.5	0.0	75.3	198.3	195.1
हरियाणा	28.4	34.6	34.0	31.2	33.1	35.4	5.8	16.7	38.4	44.2
हिमाचल प्रदेश	9.0	1.9	10.6	11.1	9.3	10.4	0.0	0.0	3.0	10.9
जम्मू और कश्मीर	15.3	22.1	21.6	23.8	23.8	19.7	0.0	1.9	23.5	25.3
झारखंड	0.1	5.9	15.5	17.7	41.2	61.0	0.0	12.7	47.6	70.6
कर्नाटक	92.0	120.8	118.5	127.9	133.1	125.4	92.8	99.4	128.3	126.6
केरल	36.5	38.9	42.9	33.8	40.1	49.5	0.0	0.5	16.8	27.5

लद्दाख						0.7	0.0	0.1	1.0	0.9
**लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
मध्य प्रदेश	90.8	136.1	108.8	91.3	87.3	79.2	22.2	89.8	140.8	139.1
महाराष्ट्र	193.4	317.2	258.1	247.8	229.8	240.4	28.4	158.6	247.3	254.7
मणिपुर	0.8	2.7	1.6	1.7	1.7	1.9	0.0	0.0	2.4	2.9
मेघालय	0.4	4.1	5.8	9.0	11.9	10.8	0.7	3.3	8.6	9.2
मिजोरम	2.5	3.7	2.5	2.7	2.4	2.8	0.0	0.4	3.2	3.6
नागालैंड	0.4	1.6	2.2	2.2	1.8	1.9	0.1	0.6	1.3	1.6
ओडिशा	49.0	46.4	95.8	102.1	83.6	99.4	13.2	40.5	122.3	122.2
पुडुचेरी	1.3	1.6	1.8	1.8	1.8	2.1	0.0	1.7	2.4	2.0
पंजाब	29.1	32.4	32.8	36.2	36.5	25.7	0.6	0.0	32.0	33.4
राजस्थान	21.0	0.0	69.5	83.7	99.5	86.4	0.0	37.5	86.0	99.5
सिक्किम	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.0	0.3	0.8	0.9
तमिलनाडु	65.6	108.3	144.1	135.8	134.2	120.2	5.7	167.8	252.9	144.9
तेलंगाना	0.0	0.0	21.6	9.1	13.5	21.2	0.0	10.7	40.0	52.6
त्रिपुरा	1.4	2.6	5.7	3.1	4.6	6.8	1.3	3.6	5.2	8.0
उत्तर प्रदेश	182.1	219.5	218.9	255.4	288.6	286.4	28.2	73.4	235.2	309.2
उत्तराखंड	13.8	40.0	19.4	17.5	20.1	14.3	0.9	12.0	20.9	19.7
पश्चिम बंगाल	66.2	154.4	174.9	140.5	178.1	193.3	0.0	0.0	126.5	174.3
	1066.0	**1873.1**	**1951.5**	**1965.3**	**1929.0**	**2036.5**	**222.7**	**866.4**	**1998.1**	**2175.1**

नोट- वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड महामारी के दौरान मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से सामुदायिक स्तर की स्क्रीनिंग बाधित हुई थी क्योंकि आंगनवाड़ी और स्कूल बंद थे।

* दिल्ली द्वारा आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है।

**लक्षद्वीप द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है।

अनुलग्नक – II

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 829 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त आधार पर निधियां जारी की जाती हैं ताकि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक ओडिशा राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में किए गए एसपीआईपी आवंटन और उपयोग का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	एसपीआईपी आवंटन	उपयोग की गई धनराशि
2021-22	11,997.79	10,627.72
2022-23	4,003.81	5,149.23
2023-24	3,458.60	3,773.59

टिप्पण:

1. एसपीआईपी आबंटन और उपयोग का ब्यौरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है और यह अनंतिम है।
2. उपयोग की गई धनराशि में केन्द्र द्वारा जारी धनराशि, तदनुरूपी राज्य के हिस्से की जारी धनराशि और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष शामिल है और यह अनंतिम है।

*****